न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 397 / 2008
सीएमएस : 2008 / 00016

1. कृष्णलाल पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.। –:वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र श्री आदूराम साकिन 11 टीके हाल ततारसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. कालूराम पुत्र श्री मनीराम साकिन 11 टीके हाल ततारसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. श्रीमती रामस्नेही धर्म पत्नी श्री मनोहरलाल साकिन 11 टीके तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. श्रीमती सरिता देवी धर्म पत्नी श्री इन्द्राज जाति बिश्नोई साकिन 11 टीके तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) रायसिहनगर। –: प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 16.12.2008

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री राजू औझा अधिवक्ता वादी।
2. श्री प्रीतमसिंह गिल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :30.09.2024

–: <u>निर्णय</u> :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं यह कि पक्षकारान के परिवादी की वंशावली निम्न प्रकार से है कि आदूराम मृतक दावा वादी के दादा थे उनके मनीराम–मनफूल–बुधराम–नत्थुराम पुत्र है मनीराम के हम कृष्णलाल–कालूराम–लिक्ष्मीदेवी–गीतादेवी वारिस है। वादी अर्थात मेरे दादा आदूराम वल्द रामुराम के नाम वसके चक 11 टीके तहसील रायसिहनगर मे मुरब्बा नं. 18 के कि.नं. 1 ता 11 व 19 व 20 मे कुल 3.061 है. नहरी भूमि खातेदारी थी। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 11 टीके के तहसील रायसिंहनगर में मुरब्बा नं. 18 के कि.नं. 1 ता 11 व 19–20 में कुल 3.016 है. नहरी भूमि संयुक्त खाता में से मनफूल–बुधराम–नत्थुराम के साथ 4/5 हिस्सा खातेदारी भूमि है, जिसते प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/5 हिस्सा नहरी भूमि आती है उक्त भूमि मेरे दादा आदुराम से मेरे पिता प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्त में मिली है। इस प्रकार उक्त विवादित उक्त विवादित भूमि पैतृक सम्पति यानि जद्दी जायदाद हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/5 हिस्सा नहरी भूमि है, जद्दी जायदाद है जो मेरे दादा आदूराम से मेरे पिता प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्त में मिली है। विवादित भूमि 1/5 हिस्सा मे मेरा 1/3 हिस्सा विरासतन हक [illegible] वादी अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार है। विवादित भूमि मेरे दादा आदूराम की है जो जद्दी जायदाद है। आदुराम [illegible] संयुक्त सम्पति है। विवादित भूमि का 1/5 हिस्सा मे से मेरे हिस्से में 1/3 हिस्सा भूमि आती हैं। मे अपने हिस्सा की भूमि पर घरू बटवारा अनुसार काबिज होकर कास्त करता आ रहा हूँ। विवादित भूमि मे मेरे [illegible]सल कास्त की हुई है। विवादित भूमि का मेने काफी रूपये खर्च कर समतल बनाया है। गोबर खाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

AnyScanner

आदि डालकर भूमि को उपजाऊ बनाया है। विवादित जद्दी जायदाद है विवादित भूमि का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है इस 1/5 हिस्सा में से मेरे हिस्सा में 1/3 हिस्सा भूमि विरस्त में आयी है। पक्षकारान हिन्दू विधि से शास्ति होते है। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने हकों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। में अपने हिस्सा की भूमि पर कबिज होकर कास्त करता आ रहा हूँ। प्रतिवादी संख्या 1 आज कल प्रविादी संख्या 2 के कहने पर चलता है तथा उसके बहकावे में आता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 मेरे को हर समय धमकी देता रहता है कि में भूमि से तेरे को बेदखल कर किसी अन्य को बेचुंगा। भू–माफिया गिरोह का कबजा करवा दुंगा। अगर प्रविादी संख्या 1 अपने नापका इरादों में कामयाब हो जाता है तो मुझ वादी को ना पुरा होने वाला नुकरान होगा, अपूणीय क्षति होगी, मेरे विधिक अधिकारों का हनन होगा। विवादित भूमि जद्दी जायदाद है। विवादि भूमि 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इस विवादित भूमि 1/5 हिस्सा में मेरा 1/3 हिस्सा भूमि है। मेने अपने 1/3 हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से अमल दरामद करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 हमेश यह कहता रहा है कि तेरे हिस्सा की भूमि पर तेरा कब्जा है जब समय मिलेगा तेरे नाम से करवा दुंगा। प्रतिवादी संख्या 1 हमेश ही टाल मटोल करता रहा है आखिर कर मेने ततारसर के मौजीज व्यक्तियों को इक्कठा कर भूमि मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व मुकाम ततारसर मे दिनांक 10.12.2008 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्टतया इन्कार हो गया। और धमकी दी कि मेन तो उक्त विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दिनांक 16.09.2008 को विक्रय कर दी हें जिस पर दिनांक 11.12.2008 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से मिला और उनसे कहा कि आपने प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि खरीद की है वह जद्दी जायदाद है उसमें मेरा 1/3 हिस्सा विरास्तन हक वा हिस्सा बनता है प्रतिवादी संख्या 1 ने आपको विवादित भूमि बिना अधिकारों के विक्रय की है जो प्रारम्भ से ही शून्य, प्रभावहीन है। इसलिए आप अपने पक्ष में हुए बैयनामा को मसुख करवा दो तो प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 बैयनामा मसुख करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गये बस यही तारीख पैदा होने बिनाय मुखास्मात है बिनाय दावा मेरे को जन्म से प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा जद्दी जायदाद होने की वजह से 1/3 हिस्सा है। जो हाजिर नहीं होने की वजह से प्रतिवादी बनाया गया है। प्रविवादीगण वादी के कब्जा काश्त सिंचाई सुविधा एवं धारणाधिकार में बाधा उत्पन्न करते रहते है इसलिए ता फैसला वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वाद वादी के कब्जा कास्त सिंचाई सुविधा धारणाधिकार उपयोग उपभोग मे दाखत देना करके बाज व ... रहे। समस्त भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है इसलिए राज्य सरकार जरियें तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार तथा अंदर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है अतः वादी ... निवेदन है कि वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

में दिनांक 16.09.2008 को करवाया गया बैयनामा विधि विरूद्व शून्य, अवैध, अप्रभावी, बातिल है। विवादित भूमि वाके चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर में मुरब्बा नं. 18 पं.नं. 199/294 के कि.नं. 1 ता 11 व 19/2 व 20 मे कुल 3.063 हे. नहरी भूमि जद्दी जायदाद में प्रतिवदी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा विरास्तन है, इस 1/5 हिस्सा में से वादी का 1/3 हिस्सा, व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या2 का बनता है। इसलिए वादी को उसके हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में किलावाईज बंटवारा कर अमल दरामद करने का आदेश तहीसलदार रायसिहनगर को दिये जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की तरफ से श्री प्रीतम सिंह गिल अधविक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जवाबदावा पेश करते हुए अंकित किया है। कि मनीराम ने अपनी खातेदारी भूमि चक 11 टीक तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 14 पुराना 133 में उसे प्राप्त भूमि में उसे प्राप्त भूमि पं.नं. 199/294 मुनं. 18 के कि.नं. 1 ता 11, 19/2, 20 का कुल 3.063 हे. नहरी में से अपना समस्त हिस्सा 1/5 हिस्सा खातेदारी भूमि प्रतिफल की एवंज में जरियें रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामां दिनांक 16.09.2008 को प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 को बेचना कर भूमि मय पानी कब्जा सुपुर्द कर दिया ओर इस प्रकार मनीराम द्वारा बैयनामा की रूह से समस्त हक–हकूक व अधिकार मिन प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के पक्ष में स्थान्तरण कर देने से मिन प्रतिवादीगण सं. 3 व4 उक्त भूमि के खातेदार बन चुके है। मनीराम के कोई हक–हकूक वा अधिकार वादग्रस्त भूमि में शेष न रहने के कारण वादी को वाद लाने का अधिकार ना होने से वाद वादी काबिल निरस्ती के ह। जैसा की ऊपर दर्ज किया जा चुका है कि प्रतिवादी सं. 1 मनीराम दिनांक 16.09.2008 को अपनी सभी वारिसों की सहमति से यह रकबा बैचान कर दिया था ओर उसके वाद वादी ने दिनांक 12.12.2008 को प्रतिवादीगण को ब्लेकमेल करने व नुकसान आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। मनीराम ने यह रकबा अपना घरेलू कर्जा व बैंक का ऋण उतारने के लिये बेचान किया था। मनीराम द्वारा अपने पुत्र व पुत्रियों की शादी के समय लिये गये कर्जा व अन्य घरेलू खर्चा कि लिये यह रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर बेचान किया था। प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 भूमि के सद्भाविक खातेदार हैं। इसिलये जब तक बैयनामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता है। तब तक वादी किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय से पाने का हकदार नहीं है। अगर वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष वादी को दिलाया जाता है। तो मिन प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। क्योकि रकबा प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने सद्भावनापूर्वक पूर्ण प्रतिफल देकर खरीद किया हुआ है। व खरीद के रोज खातेदार मालिक व काबिज हो चुके [illegible] निरस्ती के हैं। सरकार की तरफ से दिनाक 25.08.2009 [illegible] दावा पेश कर कथन किया है कि वादी अपने पिता [illegible] की घोषणा करवाना चाहता हैं किन्तु [illegible] बटवारा [illegible] सक्षम न्यायलय से वारिसान हक हिस्सा संबंधित [illegible] गये हैं। वाद खारिज फरमाया जावे।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

कृष्णलाल बनाम मनीराम आदि
निर्णय दिनांक 30.09.2024

1. आया कि चक 11 टीके, तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 18 के कि.नं. 1 ता 11, 19–20 की कुल 3.061 है. भूमि वादी के दादा आदूराम वल्द रामूराम से प्रतिवादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा जरिये विरास्तन प्राप्त हुआ है ओर इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है । –:वादी
2. आया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण इस भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है और वादी उक्त हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। –:वादी
3. आया कि प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं के नाम की 1/5 हि. भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जरिये रजिस्ट्रेड बैयनामा बेचान कर दिया। उक्त बैयनामा वादी के अधिकारों पर शून्य , अवैध, अप्रभावशील घोषित करवाने का वादी अधिकारी है। –: वादी
4. आया कि वादग्रस्त भूमि वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही बेचान हो चुकी है, अतः वाद–वादी प्रारम्भतः ही खारिज योग्य है। –:प्रतिवादीगण
5. आया कि प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के सभी वारिसान को फरीक नहीं बनाने के कारण वाद–वादी खारिज योग्य है। –: प्रतिवादीगण
6. आया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं होने के कारण वाद– वादीगण खारिज योग्य है। –:प्रतिवादीगण
7. आया कि वाद–वादी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, न कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हैं अतः उक्त वाद राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। –: प्रतिवादीगण

4. वादी कृष्णलाल पुत्र मनीराम ने साक्ष्य वास्ते दिनांक 03.05.2011 को शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा जमाबंदी चक 11 टीके मु.नं. 18 प्रदर्श–1 है व जमाबंदी संवत 2028 से 31 प्रदर्श–2 पेश की है। प्रतिवादी अधिवक्ता जिरह की गई।
5. प्रतिवादीगण ने साक्ष्य वास्ते दिनांक 04.09.2012 ने शपथ पत्र पेश किय जो शामिल मिसल किये गये। वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श– **A**–1 है और असल बैयनामा प्रदर्श– **A**–2 है जिसकी फोटों प्रति पत्रावली में प्रदर्श– **A**–2 **A** है। मनीराम ने लड़कों की सहमति से जमीन का बेचान किया था। जिसमें गवहान के रूप मे लडकों ने हस्ताक्षर किये है।
6. प्रतिवादी ने दिनांक 04.11.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति दी जिस आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर बैयनामा की प्रति पेश की गई। जिसका निर्णय [illegible] शामिल मिसल किया गया।
7. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए [illegible] विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण को तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी [illegible] 2016 अनवान
रायसिंहनगर

AnyScanner

तनकीसंख्या (A) आया कि चक 11 टीके, तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 18 के कि.नं. 1 ता 11, 19–20 की कुल 3.061 है. भूमि वादी के दादा आदूराम वल्द रामूराम से प्रतिवादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा जरिये विरास्तन प्राप्त हुआ है ओर इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है । —:वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 18 के कि.नं. 1 ता 11, 19/2 व 20 की कुल 3.061 है. भूमि संवत 2028–2029 के अनुसार आदूराम वल्द रामू कौम बिश्नोई के नाम दर्ज थी जो प्रदर्श–म 2 है। लेकिन आदूराम वल्द रामू के पास उक्त सम्पति कहां से आई ऐसा कोई दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। जिससें य प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि पैतृक व जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। यदि यह भूमि आदू वल्द रामू के पास जरिये विरास्तन अपने पिता से आती है तो यह जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है लेकिन वादी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण वादी इस तनकी को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकीसंख्या (B) आया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण इस भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा है और वादी उक्त हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। —:वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। तनकी सं. 1 में वादी यह सिद्व करने में असफल रहा है कि उक्त भूमि जद्दी जायदाद/पैतृक श्रेणी की भूमि है। हिन्दू उतराधिकार के अनुसार यदि यह भूमि वादी के पिता को उसके दादा यानि पिता के पिता से प्राप्त होती तो वह जद्दी जायदाद/ पैतृक भूमि की तारीफ में आती है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त भूमि जद्दी जायदाद है अतः यह तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं के नाम की 1/5 हि. भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जरिये रजिस्ट्रेड बैयनामा बेचान कर दिया। उक्त बैयनामा वादी के अधिकारों पर शून्य , अवैध, अप्रभावशील घोषित करवाने का वादी अधिकारी है। —: वादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। प्रतिवादी स. 1 वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से की 1/5 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.09.2008 के द्वारा बेचान कर दिया है उक्त बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी नीजि व घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति एंव अन्य जगह जमीन जा[illegible] के उद्देश्य से किया है तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 से प्रति[illegible] राशि [illegible] कर कब्जा प्रतिवादी सं. 3 व 4 को सौप दिया है। चूंकि उक्त [illegible] बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा किया गया है। तथा कब्जा [illegible] दिया गया है। इसलिए जब तक उक्त बैयनामा को शून्य घोषित नहीं करवाया जाता है तब तक वादी को खातेदारी अधिकार घोषित नहीं [illegible] जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

सकते है। बैयनामा को शून्य/निरस्त करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादग्रस्त भूमि वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही बेचान हो चुकी है, अतः वाद–वादी प्रारम्भतः ही खारिज योग्य है।
—:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रविादी सं. 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.09.2008 प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पक्ष में करवाकर कब्जा प्रतिवादी सं. 3 व 4 को करवा दिया था। वाद पेश करने से पूर्व ही भूमि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 व 4 को बेचान की जा चुकी थी। प्रतिवादी सं. 1 के पास अब कोई भूमि शेष नहीं है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (E) आया कि प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के सभी वारिसान को फरीक नहीं बनाने के कारण वाद–वादी खारिज योग्य है।
—: प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था वाद–पत्र मे वादी द्वारा मनीराम की वंशावली मे अपने सहित चार वारिसों का वर्णन है परन्तु किसी को वाद पत्र मे पक्षकार नहीं बनाया है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (F) आया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं होने के कारण वाद– वादीगण खारिज योग्य है।
—:प्रतिवादीगण

इस तनकी का सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था वाद ग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में है या नही इसका उल्लेख तनकी सं. 1 व 2 में विस्तार से किया जा चुका है। यह तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (G) आया कि वाद–वादी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, न कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हैं अतः उक्त वाद राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। **—: प्रतिवादीगण**

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी सं. 1 मनीराम द्वारा दिनांक 16.08.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के अपने हिस्सें की 1/5 भूमि प्रतिवादी सं. 3 व 4 को विक्रय कर दी थी। कब्जा भी क्रेता को करवा दिया गया था। उक्त भूमि जद्दी जायदाद /पैतृक भूमि की श्रेणी में आती हो। ऐसे साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध नहीं है। रजिस्टर्ड बैयनामा को निरस्त/शून्य करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। सिविल न्यायालय को है। यह वाद राजस्व न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (H) अनुतोष।

पूर्व निर्णात तनकी संख्या 1 ता 7 बहक प्रतिवादीगण/वादी निर्णित की जा चुकी है। अतः प्रतिवादीगण को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 15:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

AnyScanner

पंचायत समिति

प्रकरण सं. 397/2016 अनवान
कृष्णलाल बनाम मनीराम आदि
निर्णय दिनांक 30.09.2024

—:क्रियात्मक आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88–92ए–188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित नहीं होने पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

उप खण्ड अधिकारी (राज.)
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

उप खण्ड अधिकारी (राज.)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner